

किरम मुकदमा:-प्रा.प. अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

मु.नं.एवं सन 70/17

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
05.01. 2018	<p>वकील प्रार्थी श्री सुभाष विश्नोई उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र में हिदायत पैरवी न होना जाहिर किया है। मूल वाद इस न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। प्रार्थना पत्र में दिनांक 18.02.17 को दिया गया अन्तरित निषेधाज्ञा का आदेश निरस्त किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे।</p> <p><i>en</i></p> <p>उपस्थित अधिकारी खाजूवाला (जिदक-बीकानेर)</p>	<p>NO Justice <i>26/1</i></p>